न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 74 / 2016 / बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. हीराराम पुत्र भोमाराम 1/1रूपाराम पुत्र हीराराम उम्र 50 वर्ष 1/2उर्जाराम पुत्र हीराराम उम्र 32 वर्ष 1/3निम्बाराम पुत्र हीराराम उम्र 25 वर्ष 2. मंगलाराम पुत्र वेहनाराम 3. रामाराम पुत्र अमराराम 4. लिक्षमणाराम पुत्र अमराराम 5. श्रीमती चुन्नी देवी पत्नी अमराराम जाति जाट निवासी भूंका भगतसिंह तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर।	बनाम 1.रावताराम पुत्र हेमाराम जाति जाट निवासी भूंका बगतसिंह तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर राज. 2.हिमथाराम पुत्र धर्माराम 3.रघुनाथराम पुत्र ताजाराम 4.राजाराम पुत्र ताजाराम जाति जाट निवासी भूंका बगतसिह तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर राज.। 5.शाखा प्रबंधक एस.बी.बी.जे शाखा भूंका बगतसिंह। 6.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सिणधरी।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर गुड़ामालानी के राजस्व आवेदन संख्या 83/2016 बअनवान रावताराम बनाम हीराराम वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 09.06.2016 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थित

1. वकील श्री भंवरलाल चौधरी अपीलान्ट की ओर से उप.।
2. वकील श्री बाबुलाल विश्नोई रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 4 की ओर से उप.।

निर्णय

दिनांकः— 17.06.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 से 08 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी ग्राम भूंका बगतसिंह में खेत खसरा संख्या 593/4 रकबा 12.00 बीघा अवस्थित है। जिनके मध्य विप्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा संख्या 593/2 रकबा 19.00 बीघा, खसरा संख्या 593/3 रकबा 19.00 बीघा एवं खसरा संख्या 594 रकबा 16.10 बीघा प्रार्थीगण के खेत व सड़क मध्य पड़ते है। प्रार्थीगण इस रास्ते का उपयोग कई वर्षो

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

से करता आ रहा हूँ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम जारी नोटिस फर्जी तामिल करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया उसको बनाते समय अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया एवं मौका रिपोर्ट में तहसीलदार सिणधरी ने कब कौनसी तारीख को मौका देखा, किसके द्वारा मौका देखा गया व किन–किन पक्षकारों को सामने मौका देखा गया इस बात का कहीं उल्लेख नहीं है। अपीलाधीन निर्णय से काश्तकार की जोत दो टुकड़ों में विभक्त हो रहीं हैं। विधि सम्मत नहीं है। मूल रूप से खसरा संख्या 593 था जिसका सेढा आम सड़क से लगता है इस खसरे में से होकर सड़क जाती है खसरा संख्या 593 का आपस में बंटवाड़ा कर अलग–अलग टुकड़े किये है जजब सहखातेदारों के बंटवाड़े के समय रास्ता सभी के लिए छोड़ कर बंटवाड़ा करवाना चाहिए। मूल खेत के अन्य खातेदारों की जमीन में नजदीकी से रास्ता निकाला जाना संभव हो तो फिर दुसरे खातेदार के खेत में से रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अपीलाधीन निर्णय एकतरफा एवं विधि द्वारा स्थापित सिद्धांतों के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित तीनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम जारी नोटिस फर्जी तामिल करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। मौका रिपोर्ट में तहसीलदार सिणधरी ने कब कौनसी तारीख को मौका देखा, किसके द्वारा मौका देखा गया व किन–किन पक्षकारों को सामने मौका देखा गया इस बात का कहीं उल्लेख नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही एकपक्षीय मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलकर्ता की खातेदारी खेतो को दो भागों में विभक्त कर दिया जो विधि सम्मत नहीं है। मूल रूप से खसरा संख्या 593 था जिसका सेढा आम सड़क से लगता है इस खसरे में से होकर सड़क जाती है खसरा संख्या 593 का आपस में बंटवाड़ा कर अलग–अलग टुकड़े किये है जब सहखातेदारों के बंटवाड़े के समय रास्ता सभी के लिए छोड़ कर बंटवाड़ा करवाना चाहिए। मूल खेत के अन्य खातेदारों की जमीन में नजदीकी से रास्ता निकाला जाना संभव हो तो फिर दूसरे खातेदार के खेत में से रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अपीलाधीन निर्णय एकपक्षीय एवं विधि द्वारा स्थापित सिद्धांतों के

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

खिलाफ जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश को खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के खेत ग्राम भूंका बगतसिंह में खसरा संख्या 593/4 रकबा 12.00 बीघा में जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय एकपक्षीय है जिससे अपीलांट को जानकारी नहीं हो सकी। अपीलांट अपने खेत में दिनांक 02.03.2016 को शाम को गये व सुबह अपने खेत में निदान करने लगा तब रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03 आये व वहां पर अपीलांट के खेत में खड़ी फसल में पैमाईश करने लगे तब उनको ऐसा करने से मना किया तब उन्होने बताया कि मार्ग का हमारे पक्ष में फैसला हो गया है। तब अपीलाधीन आदेश की नकले प्राप्त करने हेतु आवेदन पेश किया तथा नकले प्राप्त होने पर सर्वप्रथम जानकारी हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय का निष्कर्ष है कि अपीलाधीन निर्णय से प्रदत्त रास्ते से अपीलांट का खेत खसरा संख्या 594 दो भागों

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

में विभक्त हो गया है जो किसी भी दृष्टि से न्यायसंगत नहीं है। अपीलांट रेस्पोडेंट को रास्ता देने को तैयार है लेकिन युक्तियुक्तढंग से अपने खेत की सीमा के सहारे–सहारे देना चाहता है। उसकी दलील वाजिब भी है। खसरा संख्या 593/3 व 593/2 के काश्तकारों द्वारा भी अपने खेतों की उतरी सीमा पर भूमि समर्पित की है जो इस रास्ते के प्रयोजन से उपयुक्त है। रेस्पोडेंटगण को वांछित रास्ता दिया जाना भी न्यायोचित है परन्तु वह खसरा संख्या 593/2 तथा तत्पश्चात खसरा संख्या 594 की दक्षिणी सीमा के सहारे–सहारे सड़क तक दिया जाना उपयुक्त है ताकि अपीलांट का खेत दो भागों में विभाजित नहीं हो और उसके उपयोग/उपभोग में उसे कोई परेशानी नहीं हो। इस बाबत उभयपक्ष के वकील को भी विश्वास में लिया जाकर समझाया गया जिसके लिए वे मान गए हैं।

अतः अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 83/2016 बअनवान रावताराम बनाम हीराराम वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 09.06.2016 को निरस्त करते हुए रेस्पोडेंट को समर्पित राज रकबा की भूमि के आगे खसरा संख्या 593/2 की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे एवं तत्पश्चात खसरा संख्या 594 की दक्षिण सीमा के सहारे–सहारे रास्ता (परिशिष्ट "अ" दिनांक 17.06.2019 अनुसार) दिये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार गुड़ामालानी तदनुसार प्रत्येक खसरे में रास्ते के तहत आने वाली भूमि का रकबा तय करते हुए तदनुसार तरमीम कर रास्ता कायत कर दे एवं प्रचलित दर से नियमानुसार मुआवजे का निर्धारण कर राशि को प्राप्त करने के पश्चात भुगतान करके रास्ते का अमल दरामद राजस्व रिकॉर्ड में करे दे। परिशिष्ट "अ" इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

17/6/19

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 17.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

17/6/19

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner